हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 28 मार्च 2025, समय 1305 (5 मिनट)

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। लोकसभा में कल आव्रजन और विदेशी विधेयक-2025 पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में अशांति फैलाने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के विरुद्ध कडी कार्रवाई की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि देश में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं रह सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा ऐसा नहीं होगा। देश के अंदर तो उसका स्वागत है मगर सुरक्षा के लिए खतरा है उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी है।

गृह मंत्री ने कहा कि आव्रजन और विदेशी विधेयक में, देश में प्रवेश करने वाले प्रत्येक विदेशी पर नज़र रखने के लिए एक विस्तृत और संरचित प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।

जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, आर एन्ड डी के लिए आते हैं। उन सबका में स्वागत करता हूं और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी निगरानी भी तो दोनों दृष्टि से मान्यवर ये बिल एक प्रकार से हमारे सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति करने वाला है।

इससे पहले चर्चा के शुरू में कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के खिलाफ हैबाद में लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य आव्रजन कानूनों का आधुनिकीकरण करना है। इसमें पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज, वीजा और पंजीकरण के संबंध में केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान है।

****

****

गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरकार सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करेगी। सहकारिता के माध्यम से संचालित यह सेवा उबर और ओला के मॉडल पर काम करेगी। लोकसभा में श्री शाह ने कहा कि यह कदम सहकार से समृद्धि के अनुरूप उठाया गया है।

साढे तीन साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन-रात एक करे हैं और कुछ ही महीनों में ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है जो टू व्हीलर की टैक्सी का रजिस्ट्रेशन करेगी जो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करेगी और फोर व्हीलर का भी करेगी और उसका मुनाफा ड्राइवर के पास जाएगा।

****

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2025-26 में की गई सभी घोषणाओं को 2 लाख 5 हज़ार 17 करोड़ रुपये की प्रस्तावित धनराशि से धरातल पर क्रियान्वयित किया जायेगा।मुख्यमंत्री कल विधानसभा में बजट अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा उठाये गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के सदस्यों द्वारा कुछ विभागों का बजट कम करने बारे व्यक्त की गई चिंता पर सदन से अवगत कराया कि वित्त वर्ष 2014-15 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 2368 करोड़ रुपये था, जो कुल बजट का 3.82 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2025-26 मे स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़कर 10540 करोड़ रुपये किया गया है जो कुल बजट का 5.14 प्रतिशत है। इसी प्रकार, वित्त

वर्ष 2014-15 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का बजट 2058 करोड़ रुपये था जो कुल बजट का 3.32 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का बजट बढ़कर 8315 करोड़ रुपये किया गया है जो कुल बजट का 4.05 प्रतिशत है।उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार हर परिवार को छत मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए इस वर्ष के बजट अनुमान में हाऊसिंग फॉर ऑल विभाग के लिए 2444.27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जोकि वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 605 करोड़ 3 लाख रुपये का 4 गुणा है।

****

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बजट भाषण के अपने उतर में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 11 नये मुख्य संकल्प रेखांकित किए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में हरियाणा ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और 11 साल की विकास यात्रा को इस बजट के माध्यम से तीन गुना रफ़्तार दी गई है।उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष खानापूर्ति कर रहा था। उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में पिछला एक दशक सुखद बदलाव का साक्षी रहा है। प्रदेश में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट के 11 ऐसे मुख्य बिंदु हैं, जो हरियाणा प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाना, 2000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स बनाने की योजना, नशे के विरुद्ध 'संकल्प' प्राधिकरण का गठन, मिशन हरियाणा 2047 के लिए टास्कफोर्स का गठन, नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ बिल, गांवों में महिला चौपाल बनाने की शुरुआत, हर जिले में एक गो अभ्यारण बनाने की घोषणा, अनाधिकृत औद्योगिक कालोनियों को नियमित करना, हर जिले में एक राजकीय मॉडल महाविद्यालय बनाना तथा दिव्यांगजन कोष का गठन करना और सभी दिव्यांग भाइयों-बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा और बहनों के लिए 'लाडो लक्ष्मी योजना' के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करना शामिल है।